coast of Island of Kachhatheevu. This matter should immediately be taken up with the Government of Sri Lanka, and their release should be secured at the earliest. Kachhatheevu was gifted by India to Sri Lanka. Today, our innocent fishermen are harassed by Sri Lanka for fishing off the coast of Kachhatheevu. The agreement on Kachhatheevu should be renegotiated and the fishing rights of Indian fishermen should be restored. Sri Lanka should be strongly told to desist from harassing Indian fishermen. Presence of Indian Navy and coast guard should be considerably increased in Palk Strait for the safety and security of Indian fishermen fishing in the territorial waters of our country. As a permanent solution to this problem, our fishermen may be issued special identity cards, and they may be simply asked to go back to our territorial waters in case of mistakenly entering the territorial waters of Sri Lanka. An agreement should be reached with that country in this regard. I hope that the Minister will take immediate steps in this regard for the safety and security of Indian fishermen. The only solution to this long-standing problem is to retrieve Kachhatheevu.

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with it.

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with it.

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Shyamal Chakraborty. Not present. Shri Kalraj Mishra.

Need to extend date of debt waiver scheme for farmers in the country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं सदन का ध्यान किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। 12 जून को वित्त मंत्रालय ने आर.बी.आई. को एक पत्र लिखकर कर्ज माफी की एक योजना पर कार्यवाही करने को कहा। इस कर्ज माफी योजना के तहत तीन चौथाई कर्ज चुकाकर एक चौथाई कर्ज माफ किया जाना था, अर्थात् जो किसान 30 जून तक बकाया कर्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा देंगे तो उनका बचा हुआ 25 प्रतिशत कर्ज माफ किया जाएगा। यह योजना उन किसानों के लिए भी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2007 तक कर्ज लिया था, लेकिन इसका भुगतान 29 मार्च, 2009 तक नहीं किया था। साथ ही इसे श्रेणी में आने वाले किसान पिछले वर्ष कर्ज माफी की योजना में नहीं होने चाहिए थे। केन्द्र सरकार के निर्देश पर आर.बी.आई. ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए और यह भी कहा कि बकाये राशि पर किसानों से कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। परन्तु इस कर्ज माफी योजना का लाभ किसान नहीं उठा पाए। पहले तो इस योजना में सरकार ने कर्ज चुकाने का बहुत ही कम समय दिया और जब तक किसान इस योजना को समझ पाता, इस योजना की तारीख ही खत्म हो गई तथा इस योजना का भली-भांति प्रचार भी नहीं किया गया। देखने में यह आया है कि किसान को इस योजना के बारे में पता ही नहीं था और जिनको पता था वो भ्रमित थे।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस योजना की तिथि बढ़ाई जाए और इसका सही ढंग से प्रचार हो और भविष्य में इस तरह की योजनाओं में उक्त बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।

डा. सी. पी. ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P J. KURIEN): Shri Amir Alam Khan. Not present.

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 9th July, 2009.